रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2016/आषाढ़ 27, 1938
No. 294] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938

IndiaCode

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

एफ.सं. 2–2/डी–एनएसक्यूएफ/यू.एस इन्फरा/2016.–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभातशिप "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) (प्रथम संशोधन) विनियम 2012" बनाती है। यह संशोधन फाईल संख्या 37–3/विधिक/अभातशिप/2012 के अंतर्गत दिनांक 27.09.2012 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) विनियम 2012" में किए गए हैं।

इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2012 (प्रथम संशोधन) है तथा ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

खण्ड 4 (4.1) को संशोधित किया गया है, तथा इसमें नीचे दिये गये अनुसार उपखण्ड जोड़ा गया है।

4.1 छ. परिषद् से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, दोनों ही निकायों द्वारा निर्धारित की गई शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना, उस संबंधित विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार विद्यमान सुविधाओं अथवा अतिरिक्त सुविधाओं को सृजित करके किसी अन्य विनियामक निकाय के पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं ।

प्रो० ए.पी. मित्तल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./162(176)]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2016

F.No. 2-2/D-NSQF/U.S Infra/2016.—In exercise of its powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 and Section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) frames "All India Council for Technical Education (AICTE) (1st Amendment) Regulations, 2012. This amendment is being made in the All India Council for Technical Education (AICTE) Regulations, 2012, which had been notified in the Gazette of India on 27.09.2012 under File No. 37-3/Legal/AICTE/2012.

These Regulations may be called "All India Council for Technical Education (AICTE) (1st Amendment) Regulations, 2012" and will deem to have come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

The provisions contained in the Clause 4 (4.1) shall stand amended and the following Sub-clause may be added as under:

4.1 g. To run courses of any other Regulatory Body by using existing facilities, or by creating additional facilities as per the provisions laid down in the norms & standards of the respective Regulatory Body without affecting the quality of education prescribed by both Regulatory Bodies after taking prior approval of the Council.

Prof. A.P. MITTAL, Member Secy.

[ADVT III/4/Exty./162(176)]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.